25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262810

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 [illegible]/-
2.	मालियत	: रु0 6,31,950/-
3.	स्टाम्प	: रु0 1,61,790/-
4.	भूमि का प्रकार	: कृषि
5.	तहसील	: [illegible]
6.	ग्राम	: [illegible]
7.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या-166 व 257
8.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
9.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.5748 हेक्टेयर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	: भूमि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
12.	बोरिंग/कूप/इंजन	: नहीं

25000 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262811

- 2 -

चौहद्दी

खसरा नं० 166

पूरब : खसरा संख्या–374
पश्चिम : खसरा संख्या–165
उत्तर : खसरा संख्या–167
दक्षिण : चकरोड

खसरा नं० 251

पूरब : खसरा संख्या–252
पश्चिम : खसरा संख्या–250
उत्तर : सीमा ग्राम अहमामऊ
दक्षिण : खसरा संख्या–250, 254

नि०अ० मोती लाल

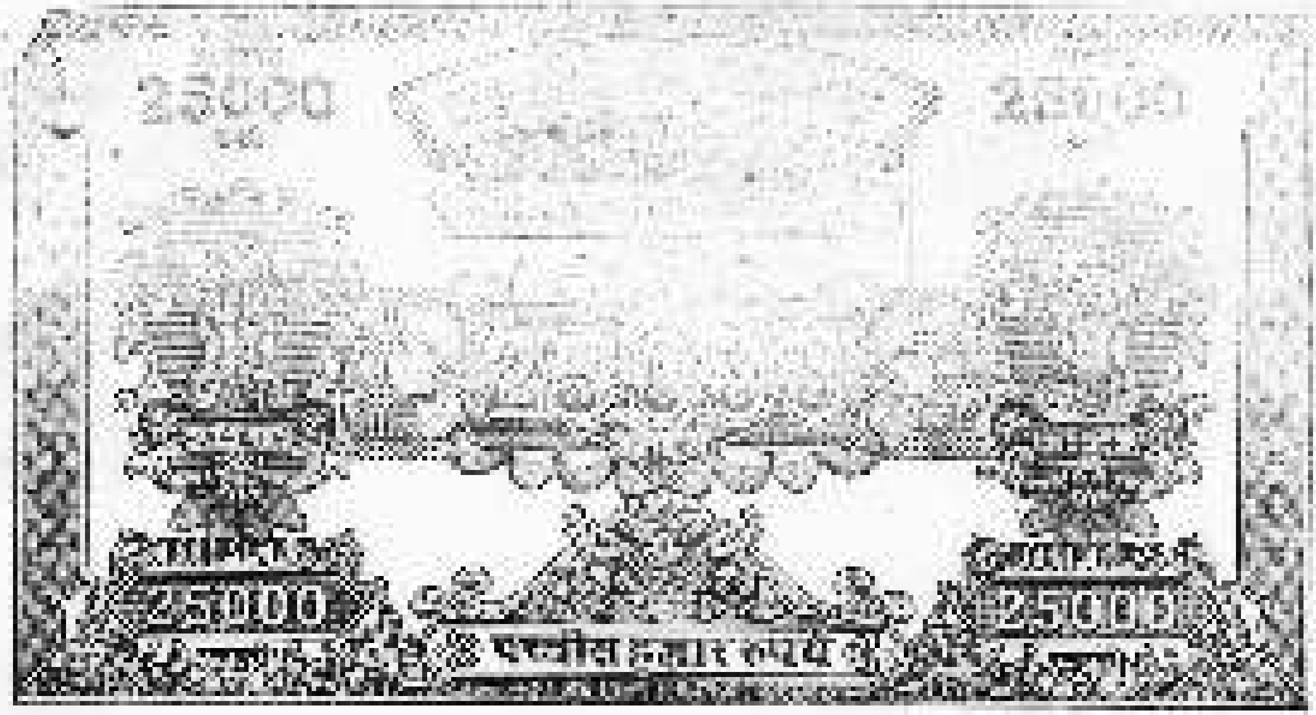

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262372

-3-

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्षकी संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
हेमराज पुत्र नोखे निवासी- ग्राम युसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	सोनी लाल पुत्र सुखई, निवासी- मिर्जापुर, गिरारी, पोस्ट-नागांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय - कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय हेमराज पुत्र नोखे निवासी- ग्राम युसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे

निशान सोनी लाल

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262913

आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट–नागांव, जिला– फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–166 रकबा 0.344 हेक्टेअर व खसरा संख्या–251 रकबा 0.461 का 1/2 भाग रकबा 0.2305 इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.5745 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर नगियामऊ, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, दाखिल व काबिज है तथा उपरोक्त स्थापित पचवार्षिक स्कीम अर्जनी क्रम संख्या 110

नि०अं० बोधी लाल

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262814

व० गां० के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि खसरा संख्या–106 विक्रेता को विरासत में मिली है तथा खसरा संख्या–251 द्वारा विक्रय विलेख प्राप्त हुई है. विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, काबिज व काश्तकार है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक

नि०अं० बोधी लाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

262815

न साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि मे किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 18,16,340/- (रूपया अठ्ठारह लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता

[illegible]

नि0अ0 मोती लाल

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

भारत INDIA

03BB 412092

द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता मोती लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, पिटारी, पोस्ट– गवगांव, जिला– फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का

मो0ला0 मोती लाल

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs. 15000 भारत INDIA Rs. 15000

0386 912093

कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई दावा कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान

गिर्राज बोधी लाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का आज

नि०अं० गांधी लाल

Rs.500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/– प्रति हैक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा0.5745 हैक्टेयर की मालियत रु0 6,31,950/– होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार

नि0उ0 सोनी लाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

069366

विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,81,700/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

नि0अं0 धोधी लाल

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–166 रकबा 0.344 हेक्टेअर व खसरा संख्या–251 रकबा 0.461 का 1/2 भाग रकबा 0.2305 इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.5745 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– सुलुफ नगर बगियामऊ, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

नि0अ0 सीती लाल

बही सं. [illegible]

[illegible] [illegible] 5,000.00 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

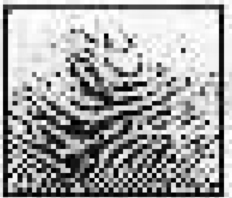

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक [illegible] समय [illegible]
को निबंधन हेतु पेश किया।

के के शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु [illegible] प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] लखनऊ

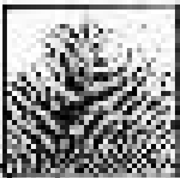

क्रेता
श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

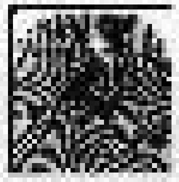

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] लखनऊ

व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] लखनऊ

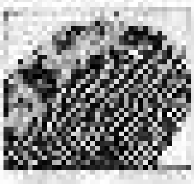

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के के शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 18,16,340/- (रुपया अट्ठारा लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः 477798, 477799, 477800, 410501 दिनांकित 02.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 18,16,340/- (रुपया अट्ठारा लाख सोलह हजार तीन सौ चालिस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।
नोट : पृष्ठ संख्या -13 पर चेक संख्या पेन से लिखें है।

लखनऊ
दिनांक: 02.02.2007
गवाह
क्रेता की पहचान की।
1. Kamal Kumar Singh S/o Sri G.C. Singh

विक्रेता

विक्रेता की पहचान की।
2.

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्वर हुसैन)
एडवोकेट

Print

Registration No 115[illegible] Year 200[illegible] Book No. 1

0101 [illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम [illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible] फतेहपुर

बायें हाथ की अंगुलियों के निशान

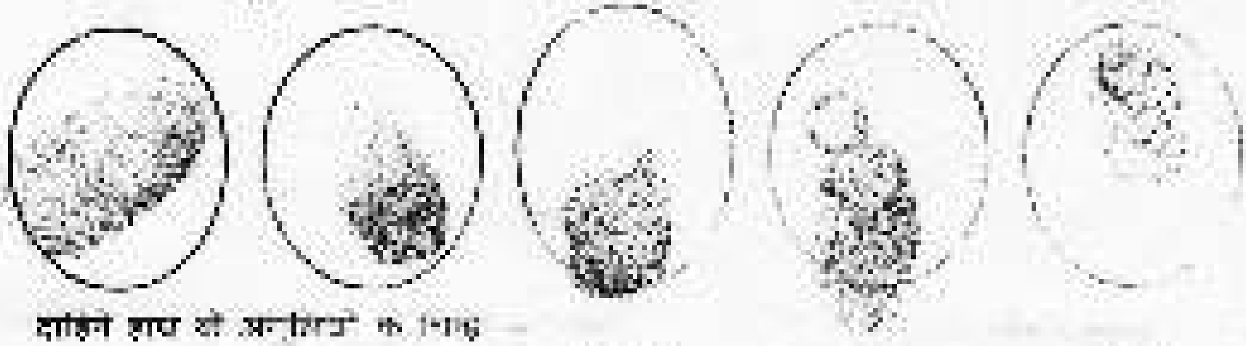

दाहिने हाथ की अंगुलियों के निशान

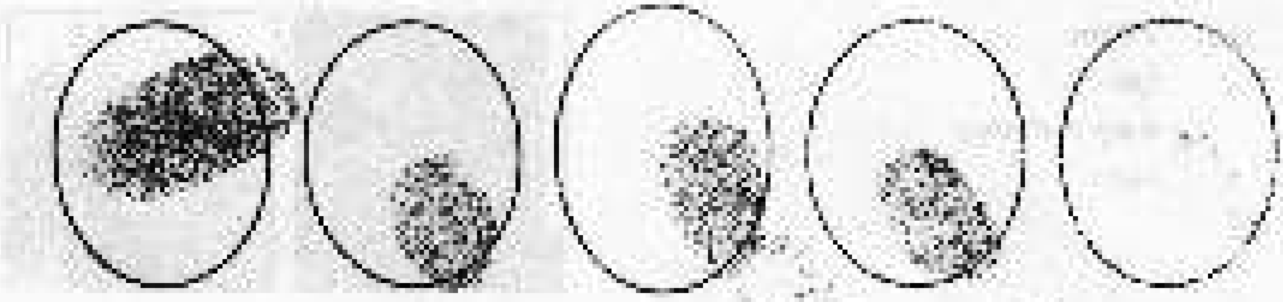

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता : क्रेता का नाम व पता [illegible]

Dr. [illegible] फतेहपुर ।

बायें हाथ के अंगुलियों के निशान

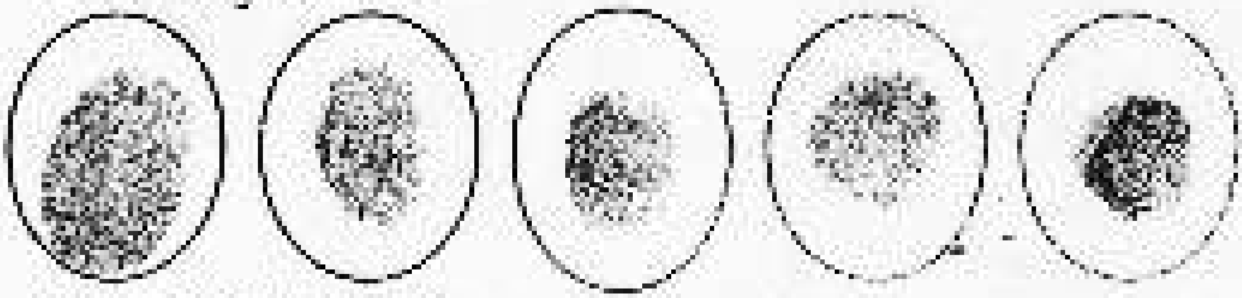

दाहिने हाथ के अंगुलियों के निशान

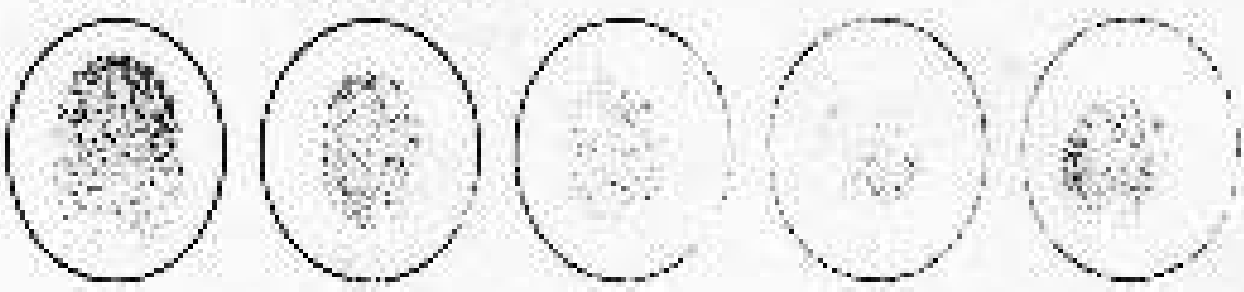

निष्पादक / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 1159 Year [illegible] Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

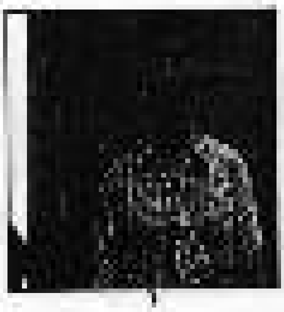

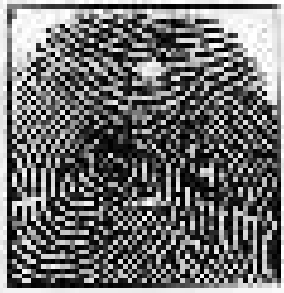

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खाता संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

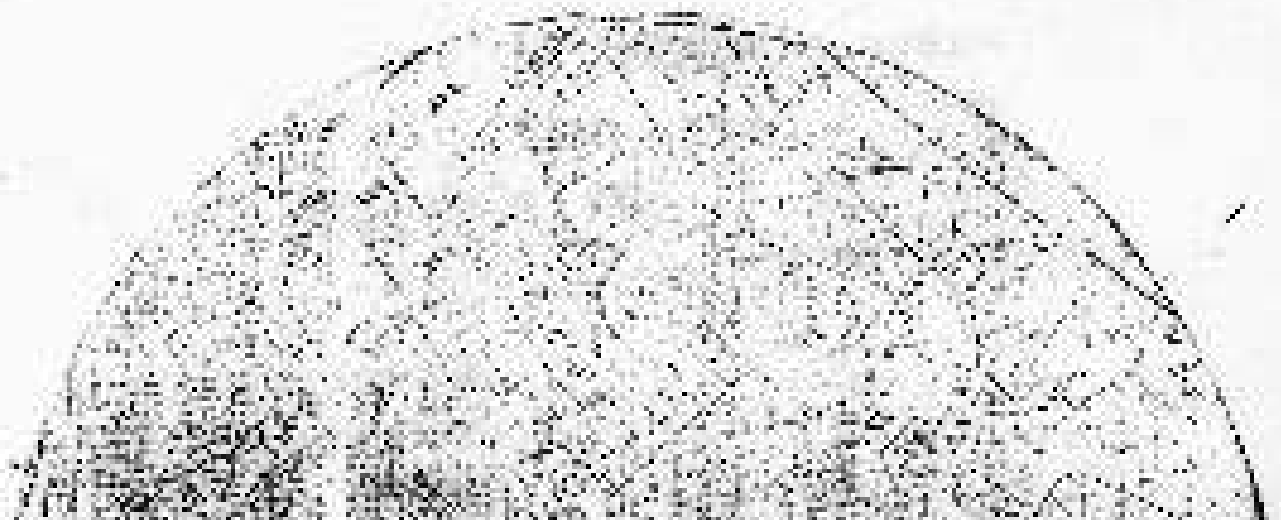

आज दिनांक 06/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8099

पृष्ठ सं 295 से 324 पर क्रमांक 1199

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

वी के शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

6.2.2007